

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, सहरसा।

अनुसूची 14- फारम संख्या 562,

राज्य।

बनाम

अशोक राय।

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला- सहरसा,
केस का प्रकार-

केस संख्या- **379/2020-21,**

बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त झोपड़ी के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	<p style="text-align: center;">—: आदेश :-</p> <p>प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक- 1616/म0नि0 एवं दिनांक-06.10.2019 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या- 490/2019, में जप्त देशी शराब के विनष्टीकरण एवं झोपड़ी के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान-पटौरी, थाना-बिहरा, घटना की तिथि-06.10.2019 के साथ वर्णित है कि-</p> <p>"गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक-06.1.2019 सनय 05:30 ए0एम0 में की गई छापेमारी में अशोक राय के घर तथा आस-पास स्थानों की तलाशी करने पर घर से सटे पूरब की ओर बने झोपड़ी में रखे डैट के टुकड़े के अंदर छिपाकर रखे पेप्सी के 02 बोतल में 04 ली0 शराब बरामद हुआ। उपर्युक्त कार्रवाई बि0म0नि0 ब उ0अधिपू2018 की धारा 30(ए) के अन्तर्गत सम्पन्न की गई।"</p> <p>उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त झोपड़ी के अधिहरण के बिन्दु पर प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>निर्गत सूचना के आलोक में झोपड़ी मालिक (प्रतिवादी) अशोक राय, पिता- नागेश्वर राय, साकिन- पटौरी वार्ड नं0 04, थाना- बिहरा, जिला- सहरसा दिनांक 04.08.2020 को उपस्थित होकर जबाब दाखिल करने हेतु समयावेदन दाखिल किए। बाद के तिथियों में वे अनुपस्थित रहने लगे और उनके ओर से कोई लिखित जबाब दाखिल नहीं किया गया। अंततः दिनांक 12.12.2020 को वाद अंतिम सुनवाई के वास्ते निर्धारित किया गया। प्रतिवादी उक्त तिथि को भी अनुपस्थित रहे।</p> <p>राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन</p>	


6


है कि चूँकि झोपड़ी का प्रयोग शराब के अवैध भंडारण में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त झोपड़ी को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने के कारण उनके अनुपस्थिति में राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि उक्त अधिहरण वाद में जप्त परिसर के संबंध में दी गई विवरणी अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। उक्त अधिहरण प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। जप्त परिसर में बहुत ही कम मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है। अतः विपक्षी को कड़ी चेतावनी देते हुए इस अधिहरण वाद को अस्वीकृत कर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत


समाहर्ता
सहरसा।


समाहर्ता
सहरसा।




ज्ञापांक ...19...../न्याया०,

सहरसा, दिनांक 08.01.21.....

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।


प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
08.01.21